प्रेस नोट
थाना बरूआसागर, झाँसी

दिनांक- 11.06.2026

- जनपद झाँसी पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही सख्त कार्यवाही
- सस्ते दाम पर सोना देने का झांसा देकर ₹10 लाख की ठगी करने वाला शातिर अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार।
- कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस, ₹6,27,000/- नगद एवं मोबाइल फोन बरामद

कृपया अवगत कराना है कि अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर श्रीमती अनुपम कुलश्रेष्ठ, कानपुर एवं पुलिस महानिरीक्षक, झाँसी परिक्षेत्र, झाँसी श्री आकाश कुलहरि के मार्गदर्शन तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झाँसी श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के कुशल निर्देशन में जनपद झाँसी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध झाँसी पुलिस द्वारा की जा रही प्रभावी कार्यवाही के क्रम में दिनांक 11.06.2026 को थाना बरुआसागर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना बरुआसागर क्षेत्रान्तर्गत धमना रोड स्थित ग्राम बारई तिराहे के पास समय लगभग रात्रि 01:05 बजे मु0अ0सं0-123/2026 धारा 316(2), 351(3) बीएनएस में वांछित अभियुक्त दीपचन्द कुशवाहा पुत्र डमरूलाल कुशवाहा निवासी भगवन्तपुरा खिरक, थाना बम्हौरी कला, जनपद टीकमगढ़ (म.प्र.), उम्र लगभग 50 वर्ष, को पुलिस मुठभेड़ के उपरांत गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर, 01 अदद जिंदा कारतूस, 01 अदद खोखा कारतूस, ₹6,27,000/- नगद तथा 01 अदद रेडमी मोबाइल फोन बरामद किया गया।

पुलिस मुठभेड़/गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बरूआसागर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 09.06.2026 को वादी श्री दीपक दुबे पुत्र बृजेश दुबे निवासी निरंजनपुर, थाना लसूड़िया, जनपद इंदौर (म.प्र.) द्वारा थाना बरुआसागर पर शिकायत दर्ज कराई गई कि वह अपने मित्र अजय पोलाया के साथ कबाड़ के व्यापार का कार्य करते हैं। उनके यहां पूर्व में कार्यरत रवि परिहार द्वारा उनकी पहचान दीपचन्द कुशवाहा नामक व्यक्ति से कराई गई थी। उक्त व्यक्ति ने स्वयं के पास बड़ी मात्रा में सोना होने तथा उसे बाजार मूल्य से काफी कम कीमत पर बेचने की बात कहकर वादी एवं उसके मित्र को अपने झांसे में लिया।

वादी के अनुसार अभियुक्त दीपचन्द कुशवाहा द्वारा लगातार संपर्क कर सस्ते दाम पर सोना बेचने का प्रलोभन दिया गया। इसी क्रम में दिनांक 02.06.2026 को अभियुक्त के बुलाने पर वादी एवं उसका मित्र ₹10 लाख रुपये लेकर मंसिल माता मंदिर, बरुआसागर पहुंचे। वहां अभियुक्त दीपचन्द अपने साथी रामेश्वर सिंह के साथ सोने का एक नमूना दिखाकर विश्वास में लिया तथा शेष सोना लाने का बहाना बनाकर ₹10 लाख रुपये प्राप्त कर लिए। रुपये लेने के बाद अभियुक्त मौके से फरार हो गये और वापस नहीं लौटे। वादी द्वारा अभियुक्तगण से संपर्क किया गया तो उसने सोना देने

अथवा रुपये वापस करने के बजाय जान से मारने की धमकी दी तथा अपना मोबाइल फोन बंद कर लिया। स्वयं के साथ धोखाधड़ी होने का एहसास होने पर वादी द्वारा थाना बरूआसागर पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बरूआसागर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना एवं साक्ष्य संकलन के दौरान अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया। तत्पश्चात पुलिस द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त दीपचन्द कुशवाहा को पुलिस मुठभेड़ के उपरांत गिरफ्तार कर लिया गया। जिसके कब्जे से **01 अदद तमंचा 315 बोर, 01 अदद जिंदा कारतूस, 01 अदद खोखा कारतूस, ₹6,27,000/- नगद तथा 01 अदद रेडमी मोबाइल फोन बरामद हुआ।**

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण – दीपचन्द कुशवाहा पुत्र डमरू लाल कुशवाहा निवासी भगवन्तपुरा खिरक थाना बम्होरी कला जिला टिकमगढ़ उम्र करीब 50 वर्ष

अपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 – 123/2026 धारा 316(2)/351(3) बीएनएस

बरामदगी का विवरण –

01 अदद तमंचा 315 बोर, 01 अदद जिंदा कारतूस, 01 अदद खोखा कारतूस, ₹6,27,000/- नगद तथा 01 अदद रेडमी मोबाइल फोन बरामद।

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

थानाध्यक्ष बरूआसागर मय पुलिस टीम